

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 25.03.2021

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबधित राशि के व्यय के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार विनियोग(संख्या-2) विधेयक, 2021 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 23.03.2021 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 2, 2021) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-04/2021/लेज: 2004 एवं 2005 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 24.03.2021 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-202 दिनांक-24.03.2021 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-202 दिनांक-24.03.2021 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में प्रावधानित राशि का व्यय 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक नियमानुसार किया जा सकता है। राशि के व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम की अनुसूची के कॉलम-6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाइट <http://egazette.bih.nic.in/> पर देखी जा सकती है। संबंधित यह सूचना वित्त विभाग के वेबसाइट <http://state.bihar.gov.in/finance> पर भी प्रकाशित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

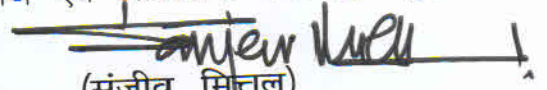
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मिश्र)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मिश्र)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मिश्र)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

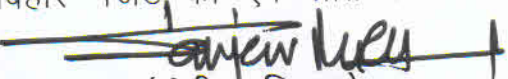
प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेंक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-4 एवं 5/ अपर सचिव, प्रभारी शाखा-10/ अपर सचिव, ई-गवर्नेंस कोषांग/ अपर सचिव, कोषागार शाखा/ अपर सचिव, स्थापना/ अपर सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/सचिव संसाधन के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

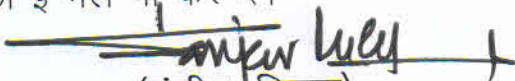
प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, बजट/सभी उप बजट नियंत्रक/प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/आई0टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर डाल दें तथा सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों/कोषागार पदाधिकारियों को ई मेल भी कर दें।


(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-10/2021-345/वि0 पटना, दिनांक: 25.03.2021

प्रतिलिपि- बजट शाखा के सभी सहायक बजट नियंत्रक/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

उप बजट नियंत्रक-सह-उप सचिव।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श10)
(सं0 पटना 202) पटना, बुधवार, 24 मार्च 2021

fof/k foHkkx

अधिसूचना

24 मार्च 2021

सं० एल०जी०-01-04/2021-2004/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

fcgkj&jkT;iky d;vkn'k l;]
पी०सी० चौधरी,
l jdkj d; l fpoA

[fcgkj vf/kfu;e 02] 2021]

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2021 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 221461,66,35,000 (दो लाख इक्कीस हजार चार सौ इकसठ करोड़ छियासठ लाख पैंतीस हजार) रुपये की निकासी ।— बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 221461,66,35,000 (दो लाख इक्कीस हजार चार सौ इकसठ करोड़ छियासठ लाख पैंतीस हजार) रुपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग ।— इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31वीं मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा ।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	ज'क' ध' व'क'ल'ह'क' ः ; i ; ॥		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	राजस्व	32354743000	0	32354743000
		पूँजी	1000000000	0	1000000000
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	15617209000	0	15617209000
		पूँजी	18000	0	18000
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	8350238000	0	8350238000
		पूँजी	44863825000	0	44863825000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3109144000	0	3109144000
		पूँजी	1302700000	0	1302700000
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	331295000	331295000
		पूँजी	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	4232827000	0	4232827000
		पूँजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	जि.क.ध.व.क.ल.के.म.ः.ि.;		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
07	निगरानी विभाग	राजस्व	443442000	0	443442000
		पूंजी	0	0	0
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1656088000	0	1656088000
		पूंजी	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	13012611000	0	13012611000
		पूंजी	2328329000	0	2328329000
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व	70469972000	0	70469972000
		पूंजी	15130000000	0	15130000000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	17314872000	0	17314872000
		पूंजी	179500000	0	179500000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3077636000	400000	3078036000
		पूंजी	7930000000	0	7930000000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	145174178000	145174178000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	90944325000	90944325000
15	पेंशन	राजस्व	218029663000	141832000	218171495000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	92239343000	0	92239343000
		पूंजी	3210000000	0	3210000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1606418000	0	1606418000
		पूंजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	9409739000	0	9409739000
		पूंजी	951198000	0	951198000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	6557546000	0	6557546000
		पूंजी	820000000	0	820000000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	जम्मा की गई राशि : ₹		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	108271856000	0	108271856000
		पूंजी	24376800000	0	24376800000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	369712880000	0	369712880000
		पूंजी	10646400000	0	10646400000
22	गृह विभाग	राजस्व	132394329000	0	132394329000
		पूंजी	7338133000	0	7338133000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	8375116000	0	8375116000
		पूंजी	4476600000	0	4476600000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2349198000	0	2349198000
		पूंजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1371873000	0	1371873000
		पूंजी	1400000000	0	1400000000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	7956379000	0	7956379000
		पूंजी	1700000000	0	1700000000
27	विधि विभाग	राजस्व	10669053000	0	10669053000
		पूंजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1977283000	1977283000
		पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	475677000	0	475677000
		पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2726287000	0	2726287000
		पूंजी	2900000000	0	2900000000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	129596000	0	129596000
		पूंजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	2411755000	14614000	2426369000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	जम्मा की गई राशि : ₹		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	7773536000	76130000	7849666000
		पूंजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	391096000	391096000
		पूंजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	8529339000	0	8529339000
		पूंजी	13454700000	0	13454700000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	5391586000	0	5391586000
		पूंजी	24311000000	0	24311000000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	22361309000	0	22361309000
		पूंजी	71880000000	0	71880000000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	2802311000	0	2802311000
		पूंजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	64805306000	0	64805306000
		पूंजी	5000000	0	5000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	11912338000	0	11912338000
		पूंजी	705002000	0	705002000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	19937049000	0	19937049000
		पूंजी	38099000000	0	38099000000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	167846607000	0	167846607000
		पूंजी	510100000	0	510100000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	3103468000	0	3103468000
		पूंजी	1121550000	0	1121550000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	17992778000	0	17992778000
		पूंजी	40000000	0	40000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1159529000	0	1159529000
		पूंजी	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	जफ़'क ध वफ/कल हेक ¼ : i ; ½		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	695178000	0	695178000
		पूंजी	2080000000	0	2080000000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3874104000	0	3874104000
		पूंजी	190000000	0	190000000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	76171291000	0	76171291000
		पूंजी	1500000000	0	1500000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	10835416000	0	10835416000
		पूंजी	29908400000	0	29908400000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	3189116000	0	3189116000
		पूंजी	6910000000	0	6910000000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	81490971000	0	81490971000
		पूंजी	100505000	0	100505000
योग राजस्व			1654196722000	148106828000	1802303550000
योग पूंजी			321368760000	90944325000	412313085000
महायोग			1975565482000	239051153000	2214616635000

पी०सी० चौधरी,
I j d k j d l f p o A

24 मार्च 2021

सं० एल०जी०-01-04/2021&2005@y t—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मार्च 2021 को अनुमत बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2021 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

f c g k j & j k T ; i k y d i v k n ' k l j
पी०सी० चौधरी,
I j d k j d l f p o A

[Bihar Act 02, 2021]
THE BIHAR APPROPRIATION (No.-2) ACT, 2021
AN
ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING OF THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2022.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-second year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .—

- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation (No.-2) Act, 2021.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from 1st April 2021.

2. Withdrawal of Rs. 221461,66,35,000 (Two Lakh twenty one Thousand four Hundred sixty one Crore sixty six Lakh thirty five Thousand) out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year ending on the 31st March 2022.—From and out of the Consolidated Fund of the Bihar, there may be paid and applied amount not exceeding those mentioned in column-6 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 221461,66,35,000 (Two Lakh twenty one Thousand four Hundred sixty one Crore sixty six Lakh thirty five Thousand), only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March 2022, in respect of the services specified in column-2 of the Schedule.

3. Appropriation.—The amount authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar by this Act shall be appropriated for and in respect of the services and purposes mentioned in the Schedule in relation to the year ending on the thirty first day of March, 2022.

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
01	Agriculture Department	Revenue	32354743000	0	32354743000
		Capital	1000000000	0	1000000000
02	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	15617209000	0	15617209000
		Capital	18000	0	18000
03	Building Construction Department	Revenue	8350238000	0	8350238000
		Capital	44863825000	0	44863825000

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
04	Cabinet Secretariat Department	Revenue	3109144000	0	3109144000
		Capital	1302700000	0	1302700000
05	Secretariat of the Governor	Revenue	0	331295000	331295000
		Capital	0	0	0
06	Election Department	Revenue	4232827000	0	4232827000
		Capital	0	0	0
07	Vigilance Department	Revenue	443442000	0	443442000
		Capital	0	0	0
08	Art, Culture and Youth Department	Revenue	1656088000	0	1656088000
		Capital	0	0	0
09	Co-operative Department	Revenue	13012611000	0	13012611000
		Capital	2328329000	0	2328329000
10	Energy Department	Revenue	70469972000	0	70469972000
		Capital	15130000000	0	15130000000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	17314872000	0	17314872000
		Capital	179500000	0	179500000
12	Finance Department	Revenue	3077636000	400000	3078036000
		Capital	7930000000	0	7930000000
13	Interest Payment	Revenue	0	145174178000	145174178000
		Capital	0	0	0
14	Repayment of Loans	Revenue	0	0	0
		Capital	0	90944325000	90944325000
15	Pension	Revenue	218029663000	141832000	218171495000
		Capital	0	0	0

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
16	Panchayati Raj Department	Revenue	92239343000	0	92239343000
		Capital	3210000000	0	3210000000
17	Commercial Tax Department	Revenue	1606418000	0	1606418000
		Capital	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	9409739000	0	9409739000
		Capital	951198000	0	951198000
19	Environment , Forest and Climate Change	Revenue	6557546000	0	6557546000
		Capital	820000000	0	820000000
20	Health Department	Revenue	108271856000	0	108271856000
		Capital	24376800000	0	24376800000
21	Education Department	Revenue	369712880000	0	369712880000
		Capital	10646400000	0	10646400000
22	Home Department	Revenue	132394329000	0	132394329000
		Capital	7338133000	0	7338133000
23	Industries Department	Revenue	8375116000	0	8375116000
		Capital	4476600000	0	4476600000
24	Information and Public Relation Department	Revenue	2349198000	0	2349198000
		Capital	0	0	0
25	Information Technology Department	Revenue	1371873000	0	1371873000
		Capital	1400000000	0	1400000000
26	Labour Resource Department	Revenue	7956379000	0	7956379000
		Capital	1700000000	0	1700000000

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
27	Law Department	Revenue	10669053000	0	10669053000
		Capital	0	0	0
28	High Court of Bihar	Revenue	0	1977283000	1977283000
		Capital	0	0	0
29	Mines and Geology Department	Revenue	475677000	0	475677000
		Capital	0	0	0
30	Minorities Welfare Department	Revenue	2726287000	0	2726287000
		Capital	2900000000	0	2900000000
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	129596000	0	129596000
		Capital	0	0	0
32	Legislature	Revenue	2411755000	14614000	2426369000
		Capital	0	0	0
33	General Administration Department	Revenue	7773536000	76130000	7849666000
		Capital	0	0	0
34	Bihar Public Service Commission	Revenue	0	391096000	391096000
		Capital	0	0	0
35	Planning and Development Department	Revenue	8529339000	0	8529339000
		Capital	13454700000	0	13454700000
36	Public Health Engineering Department	Revenue	5391586000	0	5391586000
		Capital	24311000000	0	24311000000
37	Rural Works Department	Revenue	22361309000	0	22361309000
		Capital	71880000000	0	71880000000
38	Prohibition, Excise and Registration Department	Revenue	2802311000	0	2802311000
		Capital	0	0	0

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
39	Disaster Management Department	Revenue	64805306000	0	64805306000
		Capital	5000000	0	5000000
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	11912338000	0	11912338000
		Capital	705002000	0	705002000
41	Road Construction Department	Revenue	19937049000	0	19937049000
		Capital	38099000000	0	38099000000
42	Rural Development Department	Revenue	167846607000	0	167846607000
		Capital	510100000	0	510100000
43	Science and Technology Department	Revenue	3103468000	0	3103468000
		Capital	1121550000	0	1121550000
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	17992778000	0	17992778000
		Capital	40000000	0	40000000
45	Sugar Industries Department	Revenue	1159529000	0	1159529000
		Capital	0	0	0
46	Tourism Department	Revenue	695178000	0	695178000
		Capital	2080000000	0	2080000000
47	Transport Department	Revenue	3874104000	0	3874104000
		Capital	190000000	0	190000000
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	76171291000	0	76171291000
		Capital	1500000000	0	1500000000
49	Water Resources Department	Revenue	10835416000	0	10835416000
		Capital	29908400000	0	29908400000

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
50	Minor Water Resource Department	Revenue	3189116000	0	3189116000
		Capital	6910000000	0	6910000000
51	Social Welfare Department	Revenue	81490971000	0	81490971000
		Capital	100505000	0	100505000
Total Revenue			1654196722000	148106828000	1802303550000
Total Capital			321368760000	90944325000	412313085000
Grand Total			1975565482000	239051153000	2214616635000

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 202-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>